(NCR) Planning Board Act to make it mora effective;

(b) if so, what are the details of the proposal; and

(c) toy when the Act is likely to be amended?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) In the speech made by the Chairperson of the National Capital Region Planning Board in its 18th meeting on 30-9-1991, it was stated that the Act may have to be amended to make the Board more effective far ensuring implementation of the plan by raising resources for undertaking development programmes.

(b) and (c) No specific proposals have so far been formulated.

145. *[Transferred to* 28th Novem ber, 1991].

State Cooperative Milk Federation (MILKFED)

146. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) whether Government's attention hag been drawn to the news item which appeared in the 'Indian Ex press' dated the 6th October, 1991 under the caption "Punjab needs steps to prevent private takeover of milk supply", wherein it has been stated that State's cooperative milk federa tion (MILKFED) is facing stiff com petition from private parties;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) the steps Government propose to take to save the cooperative sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA); (a) Yes,

(b) No proposal in this regard has been received from the Government of Punjab.

(c) Does not arise.

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

147. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों और भवनों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ऐसी अनधिकृत इमारतों को गिराने का विचार रखती है ; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, दिल्ली नगर निगम ने 1-7-1977 से 31-10-1991 तक की अवधि के दौरान अनधिकृत निर्माण के 88880 मामलों का पता लगाया है ।

(ख) और (ग) अनधिकृत निर्माण का पता लगने पर, संबंधित स्थानीय अभिकरणों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा क्रमश: दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा पंजाब पालिका अधिनियम, 1911 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है । दिल्ली नगर निगम ने उनके द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई के संबंध में सूचित किया है :—

(i) मामलों की संख्या जिनमें गिराने की कार्रवाई की गई है ... 12926

(ii) 1-4-1986 से 31-10-91 तक की अवधि के दौरान दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टें ... 2017